कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांकः–जिशिअ/मा/टोंक/संस्था–1/पु.अ. –3/ नियु./2017–18/1934 दिनांकः– 03.12.2017

–:कार्यालय आदेश :–

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक – शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/पु.अ. ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बौर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु भर्ती परीक्षा–2016 में संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार अभिप्रस्तावित किये गये चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संलग्न कर निम्नानुसार तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थान किया जाता है।

सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें –

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच कार्यवाही विभाग स्तर पर की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की गई है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करें।
6. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 10 में प्रोबेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार फिक्स नियत वेतन 23700/– पर नियुक्ति दी जाती है।

7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
8. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(15) शिक्षा–2/2014 दिनांक 04.09.2017 में अंकित बिन्दु संख्या 2 (ए से एच) के अनुसार आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर की गई है।
9. यह नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय में दायर एस.बी सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
10. कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों का जांच आवश्यक रूप से करें।
11. कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वार प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
13. अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर दिनांक 23.12.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

संलग्न :– सूची संख्या 01

(शंकर लाल जाट)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,टोंक

क्रमांकः–जिशिअ/मा/टोंक/संस्था–1/पु.अ. –3/ नियु./2017–18/1935–39 दिनांकः– 03.12.2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बौर्ड जयपुर
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान ....को भेज कर लेख है कि अभ्यार्थी का मूल आवेदन पत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी। (रजिस्टर्ड)
6. कार्यालय प्रति।

(शंकर लाल जाट)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,टोंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांकः–जिशिअ/मा/टोंक/संस्था–1/पु.अ. –3/ नियु./2017–18/1934–39 दिनांकः– 03.12.2017

पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–3 के पदस्थापन सूची संख्या 01

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान राउमावि
1	59	ओबीसी	नीतू रावत	दीवान सिंह	बी–73 फेज–3 नियर गर्वनमेन्ट डिस्पेन्सरी झालाना जयपुर	25.06.88	सामान्य म.	चैनपुरा (निवाई)
2	47	ओबीसी	शंकर लाल जाट	रामकिशन जाट	पटेलों की ढाणी ग्राम पोस्ट चौरू तह. फागी जिला जयपुर	01.07.80	सामान्य पु.	ब0मालपुरा (मालपुरा)
3	63	समान्य	विनोद शर्मा	रामकिशौर शर्मा	अन्नपूर्णा डूंगरी, बमोर रोड़ टोंक	22.08.82	सामान्य पु.	बनेठा (उनियारा)
4	85	एससी	मनोज पीपलीवाल	हेमचन्द पीपलीवाल	रैगरों का मौहल्ला सांगानेर, जयपुर	06.08.87	सामान्य पु.	राहोली (निवाई)
5	89	ओबीसी	राजेन्द्र कुमार कुशवाह	बजरंग लाल कुशवाह	वार्ड न. 13 जोशी मोहल्ला उनियारा जिला–टोंक	15.06.83	सामान्य पु.	ब0 उनियारा (उनियारा)
6	252	ओबीसी	राकेश सैन	हरसहाय सैन	131 बड़ा बाजार ग्रा. पो. चकवाड़ा त. फागी, जिला –जयपुर	10.07.83	ओबीसी पु.	पचेवर (मालपुरा)
7	458	एससी	तेजकरण अटोलिया	मंगल राम अटोलिया	प्लाट न. 61, श्याम विहार कॉलोनी, रैगरों का मौहल्ला, श्योपुर तह. सांगानेर जयपुर	25.05.86	एससी पु.	पारली (मालपुरा)

(शंकर लाल जाट)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,टोंक